कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग , कन्नौज

पत्रांकः 155 / 14–1,दिनांक, कन्नौज, 18/7/ 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल
कानपुर।

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0– 91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर) मार्ग फोर लेन चौडीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6476 वृक्षों व 24281 पौधें के पातन की अनुमति।

प्रपोजल संख्या– **FP/UP/ROAD/26451/2017**

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/25/2017/एफ0सी0/176/दिनांक 12.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अन्तिम स्वीकृति निर्गत करने हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क0 सं0	भारत सरकार की शर्त	अनुपालन की स्थिति
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात 99.328 X 2 =198.656 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	केनरा बैंक शाखा स्वरूप नगर कानपुर के एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 चालान संख्या– सी0एन0आर0बी0आर0 52018071100775165 दिनांक 11.07.2018 द्वारा रू0– 128019684/– कार्पोरेशन बैंक लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च ब्लाक 11 सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा की गयी।
2क	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	केनरा बैंक शाखा स्वरूप नगर कानपुर के एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 चालान संख्या– सी0एन0आर0बी0आर0 52018071100775165 दिनांक 11.07.2018 द्वारा रू0– 128019684/– कार्पोरेशन बैंक लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च ब्लाक 11 सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा की गयी।
ख	जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई– रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्ति स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण , एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण , दिया गया हो।) प्रेषित की जाये।	उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि केनरा बैंक शाखा स्वरूप नगर कानपुर के एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 चालान संख्या– सी0एन0आर0बी0आर0 52018071100775165 दिनांक 11.07.2018 द्वारा रू0– 128019684/– कार्पोरेशन बैंक लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च ब्लाक 11 सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा की गयी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि– रू0–46579300.00

		एन0पी0वी0 की धनराशि–रू0–81440384.00 कुल रू0–128019684.00
	2	3
	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (समक्ष स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अलीगढ़ द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
3	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अलीगढ़ द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें की आई0आर0सी0 के मानको के अनुसार तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बेन्च भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या– 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अलीगढ़ द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की गयी है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अलीगढ़ द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
7	सैद्धान्ति स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षक अधिनियम– 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम– 1980 के उल्लंघन के विषय में दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 11–306/2014 -- एफ0सी0 (पी0टी0) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।	–
9	परियोजना हेतु उपयोजित कुल वन भूमि 99.328 हे0 में पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम – 1980 के तहत राष्ट्रीय राज मार्ग– 91 पर स्थित पेट्रोल पम्पों के पक्ष में विमुक्त/अपयोजित वन भूमि संनिहित मानी जायेगी।	परियोजना हेतु अपयोजित 99.328 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम – 1980 के तहत राष्ट्रीय राज मार्ग– 91 पर स्थित पेट्रोल पम्प के विमुक्त/अपयोजित वन भूमि में संनिहित किया गया है।
10	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या– 91 पर पूर्व से स्थित पेट्रोल पम्पों को अभिगम की (Access) की अनुमति यथावत मान्य होगी।	परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अलीगढ़ द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
	Ca Amount as per proposal	Rs. 46579300.00

..a amount deposited	Rs. 46579300.00
Difference in amount	-
Reason for difference	-
NPV amount deposite	Rs. 81440384.00
Difference in amount	-
Reason for difference	-
Any other amount deposited-(Complete details be provided)	-
CAMPA confirmation	NEFT/RTGS CENRA CHALLAN NO-CNRBR 52018071100775165 Dated 11.07.2018

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(आर० सी० श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक 155 /समदिनांकित

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण –1980 उत्तर प्रदेश की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक कैम्पा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर० सी० श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

Mob. . 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–II)

प्रभावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के बढ़ोत्तरी होने के सम्बंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कन्नौज में किमी0 289.000 से 356.000 तक 99.328 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों **कुल 30759 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/25/2017/एफ.सी./176 दिनांक 12.06.2018 द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों में यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण (भा0रा0रा0प्रा0) बढ़ी हुई धनराशि जमा करने को वचनबद्ध होगा।

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक
P. P. Singh
Project Director
National Highways Authority of India
PIU-Aligarh

प्रतिहस्ताक्षरित

(आर0 सी0 श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक—3)

प्रस्तावित वनक्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने सम्बंधी वचनबद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कन्नौज में किमी0 289से 356.000 तक 99.328 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों **कुल 30759 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगीं।

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

P. P. S...
Project Direct...
National Highways Authori...
PIU-Al...

प्रतिहस्ताक्षरित

(आर0 सी0 श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–4)

सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण सम्बंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कन्नौज में किमी0 289से 356.000 तक 99.328 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों **कुल 30759 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
(आर0 सी0 श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक
P. P. Singh
Project Director
National Highways Authority of India
PIU-Aligarh

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–5)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून के पालन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कन्नौज में किमी0 289से 356.000 तक 99.328 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों **कुल 30759 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

P. P. Singh
Project Director
National Highways Authority of India
PIU-Aligarh

प्रतिहस्ताक्षरित

(आर0 सी0 श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–6)

राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर स्थित पेट्रोल पम्पों के पक्ष मे विमुक्त/अपयोजित वन भूमि सन्निहित माने जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कन्नौज में किमी0 289से 356.000 तक 99.328 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों **कुल 30759 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में परियोजना हेतु अपयोजित कुल भूमि 93.975 है0 में पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर स्थित पेट्रोल पम्पों के पक्ष मे विमुक्त/अपयोजित वन भूमि सन्निहित मानी जाएगी।

प्रति हस्ताक्षरित

(आर0 सी0 श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक
P. P. Singh
Project Director
National Highways Authority of India
PIU-Aligarh

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–7)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 पर पूर्व में स्थित पेट्रोल पम्पों की अभिगम (Access) की अनुमति यथावत् रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कन्नौज में किमी0 289से 356.000 तक 99.328 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों **कुल 30759 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 पर पूर्व में स्थित पेट्रोल पम्पों की अभिगम (Access) की अनुमति यथावत् मान्य होंगीं।

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक
P. P. Singh
Project Director
National Highways Authority of India
PIU-Aligarh

प्रति हस्ताक्षरित

(आर0 सी0 श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 05-07-2018

Agency Name.	NHAI
Application No.	6126451569
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/25/2017/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Project Director, National Highway Authority of InAligarh
Amount(in Rs)	128019684/-

Amount in Words :Twelve Crore Eighty Lakh Nineteen Thousand Six Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906126451569 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HO

Date : 05-07-2018

Agency Name.	NHAI
Application No.	6126451569
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/25/2017/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Project Director, National Highway Authority of In Aligarh
Amount(in Rs)	128019684/-

Amount in Words :Twelve Crore Eighty Lakh Nineteen Thousand Six Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906126451569 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

P. P. Singh
Project Director
National Highways Authority of I...